संख्या-14/2018/508 ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 फरवरी,2018

विषय:- ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि एवं धरोहर धनराशि को केन्द्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-630/आठ-सांख्यिकी/ई-लाटरी/2017-18, दिनांक 17 फरवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के दृष्टिगत प्रदेश के राजस्वहित में ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि एवं धरोहर धनराशि को केन्द्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाने हेतु पंजाब नेशनल बैंक में एक केन्द्रीयकृत खाता खोलने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च,2012, शासनादेश संख्या-10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29 मई,2015, शासनादेश संख्या-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23 सितम्बर,2015 एवं शासनादेश संख्या-03/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23 फरवरी,2016 में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत खाता बचत खाता होगा।

(2) यह बैंक खाता उप आबकारी आयुक्त(लाइसेंसिंग) तथा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, आबकारी मुख्यालय के पदनाम से खोला जायेगा व संयुक्त रूप से उन्हीं के द्वारा संचालित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) इस खाते में किसी प्रकार से धनराशि के आहरण की अनुमति नहीं होगी। केवल धनराशि को खाता संचालित करने वाले अधिकारियों के अनुरोध/निर्देश पर नियमानुसार राजकोष के निर्धारित लेखाशीर्ष/जी0एस0टी0 के निर्धारित लेखाशीर्ष में हस्तान्तरित किये जाने की तथा जिस खाते से धनराशि जमा कराई गई है, उसी खाते में वापस जमा किये जाने की अनुमति होगी। धनराशि की वापसी/हस्तान्तरण ऑन-लाइन **(Online)** होगी।

(4) उक्त बैंक खाता विलम्बतम दिनांक 30 जून,2018 तक संचालित रहेगा एवं उसके पश्चात् नियमानुसार बंद कर दिया जायेगा व खाते में उपलब्ध धनराशि को नियमानुसार निस्तारित कर दिया जायेगा।

(5) खाते से अर्जित होने वाले ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(6) केवल एक ही केन्द्रीयकृत खाता उपरोक्तानुसार खोला जायेगा। यदि अन्य खाते खोले गये हैं, तो उन्हें तत्काल बन्द कर दिया जायेगा।

(7) खाते के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-32/दस-2018, दिनांक 19 फरवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-14/2018/508(1)ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त(लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in